

के लिए मौका चाहिए
आकर दिनांक 1.7.24 को पेश करें

ed

1.7.24

पत्रावली में इच्छी पार्थी अधिकवेवता अडुपस्थि है
हस्तगत प्रकरण का मूल वाद अदम हाजरी अदम पैरवी
में खारिज होने से इस प्रकरण में अब कोई कार्यवाही
शेष नहीं रहती है।

अतः पार्थी का आदेश 9 जियम 8 के
तहत अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया
जाता है निर्णय स्टे इजलास सुनाया गया प्रकरण
कैपल शुमा लेकर नम्बर से कम है।

ed
(रियासबी)

IAS

महाराष्ट्र न्यायालय महाराष्ट्र
की अदालत : न्यायाधीश : महाराष्ट्र न्यायाधीश
महाराष्ट्र न्यायाधीश : न्यायाधीश : महाराष्ट्र न्यायाधीश

महाराष्ट्र न्यायालय महाराष्ट्र
की अदालत : न्यायाधीश : महाराष्ट्र न्यायाधीश
महाराष्ट्र न्यायाधीश : न्यायाधीश : महाराष्ट्र न्यायाधीश